प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 928/2014

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 3.2.2021

निर्णय पारित करने का दिनांक : 18.3.2021

दीपक कुमार दीवान, पिता श्री रामदयाल दीवान, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम नवापारा (भैरा), थाना छुरा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट, गरियाबंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री घनश्याम पटेल, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 48/2013 में दिनांक 30.8.2014 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को निम्नानुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है:

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (एतस्मिन पश्चात 'पोक्सो अधिनियम')की धारा 4 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास और 1000/– रुपये का अर्थदण्ड, व्यतिक्रम सशर्त
पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास और 1000/– रुपये का अर्थदण्ड, व्यतिक्रम सशर्त

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में यह हैं कि कथित अपराध के समय पीड़िता (अ.सा. 7) लगभग 16 वर्ष की आयु की एक मूक–बधिर और मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की थी। कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1/प्र.पी.1 सी) की प्रविष्टियों के अनुसार उसकी जन्म तिथि 7.2.1997 है। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार दिनांक 1.9.2013 को वह अपनी माता भगवती (अ.सा. 6) के साथ नयापारा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। रात करीब 10 बजे उसने अपनी माता को संकेतों से बताया कि वह शौच के लिए जा रही है। कुछ देर बाद भगवती (अ.सा. 6) ने पीड़िता को ढुढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह आसपास नहीं मिली। तत्पश्चात उसकी तलाश की गई, परंतु वह नहीं मिली। कुछ समय पश्चात वह रोती हुई जंगल की ओर से वापस आती हुई दिखाई दी। अपीलार्थी भी उसके पीछे आ रहा था। पूछने पर पीड़िता ने इशारों से बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है। तत्पश्चात भगवती (अ.सा. 6) द्वारा दिनांक 2.9.2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.18) दर्ज कराई गई। पीड़िता की डॉ. बी. बारा (अ.सा. 3) द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.6) दी, जिसमें उसने पाया कि पीड़िता की हाइमन फटी हुई थी। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के मध्य दो खरोंच मौजूद थे। फटी हुई हाइमन को छूने पर रक्तस्त्राव हो रहा था। पीड़िता अपने गुप्तांग में दर्द की शिकायत कर रही थी। चिकित्सक के अनुसार परीक्षण के 24 घंटे के भीतर पीड़िता के साथ लैंगिक संबंध बनाए गए थे। पीड़िता के आयु निर्धारण हेतु उसका रेडियोलॉजिकल परीक्षण कराया गया। रेडियोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.4 है, जिसमें पाया गया कि पीड़िता की रेडियोलॉजिकल आयु 15 वर्ष है। पीड़िता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व 164 के अधीन दर्ज किया गया। अन्य साक्षियों के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन ने 16 साक्षियों से परीक्षण कराया। अपीलार्थी के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए, जिसमें उसने दोष अस्वीकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया। उसके बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4. विचारण पूर्ण होने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष किया एवं इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लेखित दण्डादेश दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख पर कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कथित घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी। आगे यह भी व्यक्त किया गया कि कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1/प्र.पी.1 सी) की प्रविष्टियों से ज्ञात होता है कि जन्म

लेने वाली बालिका का नाम लुकेश्वरी है, परंतु यह पीड़िता का नाम नहीं है। पीड़िता के माता–पिता के कथन से भी यह प्रतीत होता है कि उनके तीन संताने हैं। अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि लुकेश्वरी उनकी दूसरी संतान होगी। अतः कोटवारी पंजी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता। आगे तर्क किया गया कि पीड़िता की रेडियोलॉजिकल आयु 15 वर्ष दर्शायी गई है, जिसमें दोनों पक्षों में 3 वर्ष का अंतराल त्रुटिपूर्ण है, अतः पीड़िता की आयु 18 वर्ष बनती है। किन्तु घटना के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के अंतर्गत दोषसिद्धि मान्य नहीं है। आगे तर्क किया गया कि अपीलार्थी का परीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरियाबंद द्वारा किया गया, जिन्हें पोक्सो अधिनियम की धारा 28 के अनुसार पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रकरणों में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अतः सम्पूर्ण परीक्षण दोषपूर्ण है। चूंकि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं थी, अतः अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के सीमा में ही आता है। आगे यह भी तर्क किया गया कि अपीलार्थी पूर्व ही लगभग $7^{1/2}$ वर्ष का दण्ड भुगत चुका है, अतः उसके दण्ड में कटौती कर उतनी ही अवधि तक किया जाए जितनी अवधि उसने पूर्व ही भुगत ली है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1/प्र.पी.1 सी) में बालिका का नाम लुकेश्वरी बताया गया है, परंतु बचाव पक्ष द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पीड़िता की कोई बहन लुकेश्वरी है और न ही न्यायालय में पीड़िता के माता–पिता के समक्ष ऐसा कोई सुझाव रखा गया है। अतः कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1) पीड़िता के जन्म से ही संबंधित है। इसके अतिरिक्त पीड़िता की माता भगवती (अ.सा. 6) और पीड़िता के पिता नारद (अ.सा. 15) के कथनों से यह स्थापित होता है कि घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। इस न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना (संशोधन) क्रमांक 4328/II–15–2/2012 बिलासपुर, दिनांक 21.6.2013 का संदर्भ देते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय गरियाबंद को पोक्सो अधिनियम के अधीन विशेष प्रकरणों की सुनवाई करने का अधिकार है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. सर्वप्रथम मैं पीड़िता की आयु के संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण करूंगा।

9. कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1/प्र.पी.1 सी) की प्रविष्टियों के अनुसार, पीड़िता के पिता नारद (अ.सा.15) ने दिनांक 12.2.1997 को उक्त प्रविष्टियां दर्ज कराई। उक्त प्रविष्टियों के अनुसार बालिका लुकेश्वरी की जन्म तिथि 7.2.1997 है तथा वह नारद (अ.सा.15) की तृतीय संतान है। कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1) में लुकेश्वरी की जन्म तिथि 7.2.1997 दर्शाई गई है, जिस पर बचाव पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से विवाद नहीं किया गया है। पीड़िता की माता– पिता भगवती (अ.सा.6) तथा नारद (अ.सा.15) दोनों ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह प्रमाणित किया है कि घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। भगवती (अ.सा. 6) ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि उनकी एक और पुत्री है, जो 7 वीं–8 वीं कक्षा में पढ़ती थी। परंतु, उस पुत्री का नाम लुकेश्वरी नहीं बताया गया है, यह बात पीड़िता के माता–पिता ने कहीं भी नहीं कही है और न ही बचाव पक्ष ने इस संबंध में न्यायालय में उनके समक्ष कोई सुझाव दिया है। बल्कि, नारद (अ.सा. 15) की प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में बचाव पक्ष ने स्वयं यह सुझाव दिया है कि कोटवारी पंजी (अनुच्छेद 1) की प्रविष्टियों में पीड़िता का स्वयं का जन्म विवरण है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी। पीड़िता की आयु के संबंध में उपरोक्त विमर्श को दृष्टिगत रखते हुए, यह साबित होता है कि घटना के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। इस प्रकार, पीड़िता की आयु के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध हेतु उचित रूप से सिद्धदोष किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचारण न्यायालय के अधिकारिता के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विचारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद के न्यायालय द्वारा चलाया गया था, जो कि सिविल जिला मुख्यालय रायपुर का एक दूरस्थ थाना न्यायालय है। पोक्सो अधिनियम की धारा 28 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

> **"28. विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना–** (1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए, अभिहित करेगी
>
> परन्तु यदि किसी सेशन न्यायालय को, बालक अधिकार सरंक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को, बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का [उपधारा(1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67 ख के अधीन अपराधों का, जहां तक कि वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित हैं, या बालकों का आन–लाईन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, गत विचारण करने की अधिकारिता होगी।

11. अधिसूचना क्रमांक 3526/21–बी/13 दिनांक 30.4.2013 के तहत छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की 16 फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित व स्थापित की हैं। अधिसूचना निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"छत्तीसगढ़ शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,

मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.) 492002

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/04/2013

क्रमांक 3526/21–बी/13 छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, 17 जून 2013 से नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक जिले में "अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों का फास्ट ट्रैक न्यायालय" गठित एवं स्थापित करती है, अर्थात्:–

अनुसूची

स.क्र.	जिले का नाम	स्थान का नाम	फास्ट ट्रैक न्यायालय की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)	1
2	बिलासपुर	बिलासपुर	1
3	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1
4	धमतरी	धमतरी	1
5	दुर्ग	दुर्ग	1
6	जांजगीर –चांपा	जांजगीर –चांपा	1
7	जशपुर	जशपुर	1
8	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)	1
9	कोरबा	कोरबा	1
10	कोरिया (बैकुन्ठपुर)	कोरिया (बैकुन्ठपुर)	1
11	महासमुंद	महासमुंद	1
12	रायगढ़	रायगढ़	1
13	रायपुर	रायपुर	1
14	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1
15	सरगुजा (अम्बिकापुर)	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1
16	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम एवं आदेशानुसार

सही/–

(ए.के. सामंतराय)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

विधि एवं विधायी कार्य विभाग”

12. छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना संख्या 3528/21–बी/13 दिनांक 30.4.2013 के बालकों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के उल्लंघन के त्वरित सुनवाई हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के उपरोक्त 16 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को "बाल न्यायालय" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अधिसूचना निम्नानुसार है:–

"उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अधिसूचना

क्रमांक 3618/दो– 15–2/2012 बिलासपुर , दिनांक 9.5.2013

xxxx xxxx xxxx xxxx

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19, 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3526/21–बी/13 दिनांक 30.4.2013 द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक सिविल जिले के लिए गठित एवं स्थापित अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों के विचारण हेतु) का फास्ट ट्रैक न्यायालय दिनांक 17.6.2013 से निम्नानुसार तालिका में उनके समक्ष निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेगा:–

तालिका

स.क्र.	सिविल जिले का नाम	अतिरिक्त जिला न्यायधीशों के न्यायालय		स्थानीय क्षेत्र/सत्र विभाग/सिविल जिला
		बैठने का स्थान	न्यायालय की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1	बस्तर (जगदलपुर)
2	बिलासपुर	बिलासपुर	1	बिलासपुर
3	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दंतेवाड़ा	1	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
4	धमतरी	धमतरी	1	धमतरी
5	दुर्ग	दुर्ग	1	दुर्ग
6	जांजगीर –चांपा	जांजगीर –चांपा	1	जांजगीर –चांपा
7	जशपुर	जशपुर	1	जशपुर
8	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1	कबीरधाम (कवर्धा)
9	कोरबा	कोरबा	1	कोरबा
10	कोरिया (बैकुन्ठपुर)	बैकुन्ठपुर	1	कोरिया (बैकुन्ठपुर)
11	महासमुंद	महासमुंद	1	महासमुंद
12	रायगढ़	रायगढ़	1	रायगढ़
13	रायपुर	रायपुर	1	रायपुर
14	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1	राजनांदगांव
15	सरगुजा (अम्बिकापुर)	अम्बिकापुर	1	सरगुजा (अम्बिकापुर)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16	उत्तर बस्तर (कांकेर)	कांकेर	1	उत्तर बस्तर (कांकेर)

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार
सही/- 9.5.2013
(अशोक कुमार पंडा)
रजिस्ट्रार जनरल
पृष्ठांकन क्रमांक 3619/II-15-2/2012 बिलासपुर, दिनांक 9.5.2013
xxxx xxxx xxxx xxxx"

14. तत्पश्चात, उच्च न्यायालय ने अपनी अधिसूचना संख्या 3618/II–15–2/2012 दिनांक 9.5.2013 को संशोधित करते हुए अधिसूचना संख्या 4328/II–15–2/2012 बिलासपुर, दिनांक 21.6.2013 के तहत उपरोक्त 16 न्यायालयों के अधिकारिता के संबंध में एक नई व्यवस्था की, जो निम्नानुसार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अधिसूचना (संशोधन)

क्रमांक 4328/दो – 15–2 /2012 बिलासपुर, दिनांक 21.6.2013
xxxx xxxx xxxx xxxx

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19, 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अपने पूर्व अधिसूचना क्रमांक 3618/II–15–2/2012 दिनांक 9.5.2013 के कॉलम क्रमांक 5 में उल्लिखित अधिकारिता (स्थानीय क्षेत्र/सत्र संभाग/सिविल जिला) को निम्नानुसार स्पष्ट करता है:–

> "महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के फास्ट ट्रैक न्यायालयों का अधिकारिता जिला मुख्यालय के अधिकारिता क्षेत्र तक ही सीमित होगी तथा बाहरी थानों के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले मामलों की सुनवाई बाहरी थानों में पदस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।"

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार

सही/- 21.6.2013
(अशोक कुमार पंडा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 4329/II–15–2/2012 बिलासपुर, दिनांक 21.6.2013

xxxx xxxx xxxx xxxx"

15. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्थापित होता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय गरियाबंद को इस प्रकरण की सुनवाई का अधिकार था। अतः अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उक्त न्यायालय को इस प्रकरण की सुनवाई का अधिकार नहीं था, कोई बल नहीं रखता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दण्डादेश के संबंध में, मैं पाता हूं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी पर न्यूनतम निर्धारित दण्ड अधिरोपित किया है एवं इसलिए, दण्डादेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. परिणामस्वरूप, मुझे अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। इसे खारिज किया जाता है।

सही/–

(अरविंद सिंह चंदेल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**